UPKJ010005292026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कन्नौज।
प्रकीर्ण वाद संख्या–17/74/2026
श्रीमती रानी देवी बनाम राकेश कुमार आदि।

<u>दिनांक–03.04.2026</u>

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण वाद पेश हुआ। प्रार्थिनी श्रीमती रानी देवी की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता अन्तरण प्रार्थना पत्र 3C2 मय समर्थित शपथ पत्र 4C2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसका मूलवाद संख्या–42/2014 रानी देवी बनाम राकेश कुमार आदि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(सी.डि.), छिबरामऊ के न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थिनी वृद्ध महिला है और वर्तमान में ग्राम बरौली, कन्नौज में निवास करती है। कन्नौज से बाह्य न्यायालय छिबरामऊ करीब 50 किलोमीटर दूर है। प्रार्थिनी का एक्सीडेन्ट में पैर फ्रैक्चर हो गया था , जिस कारण वह लम्बा सफर तय करने में असमर्थ है। उपरोक्त आधारों पर उसका उपरोक्त मूलवाद मुख्यालय कन्नौज के किसी सक्षम न्यायालय में अंतरित करने की याचना की गई है।

सुना। प्रार्थिनी का कथन है कि वह वृद्ध महिला है। वह कन्नौज के न्यायालय में अपनी पैरवी कर सकती है, बाह्य न्यायालय, छिबरामऊ में नहीं। **माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 14951/76–B/Admin.(A–3); Allahabad: dated 18.11.2025** के द्वारा **उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या–2025/623/VII–Nyaya–2–2025–42G/2025 दिनांकित 25.08.2025** की प्रति प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिबरामऊ को तहसील छिबरामऊ से संबंधित पाँच लाख से अधिक मूल्यांकन सिविल प्रकृति के वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा जो मूलवाद दाखिल किया गया है वह उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थिनी के उक्त मूलवाद में सुविधा के आधार पर अन्य न्यायालय में अंतरित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधार पर प्रार्थिनी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.04.03 17:06:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Kannauj